न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 60/2010/डिक्री

1. मु0 कस्तुरी पुत्री हजारी जोजे गणेश ब्राह्म्ण
2. मु0 धापु पुत्री हजारी जोजे भंवरलाल ब्राह्म्ण
3. मु0 झमकु पुत्री हजारी जोते रूपलाल ब्राह्म्ण
   तीनो निवासी जाडाना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्टस

बनाम

1. मु0 कंकू बेवा मोहन ब्राह्म्ण
   निवासी जाडाना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़
2. मु0 कुसुमी पुत्री हजारी जोजे हीरालाल ब्राह्म्ण–फौत
3. भेरू पिता तेजु ब्राह्म्ण
   निवासी जाडाना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़
4. कालु पिता टोडु ब्राह्म्ण–फौत
5. मु0 मोहिनी बेवा मिठुलाल ब्राह्म्ण
6. नंदलाल पिता मिठुलाल ब्राह्म्ण
7. रामेश्वरलाल पिता मिठुलाल ब्राह्म्ण
8. कालु पिता छोगा ब्राह्म्ण
   सभी निवासी जाडाना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़
9. श्रीलाल पिता नोला ब्राह्म्ण मृतक के बजाय –
    1. गणेश पिता श्रीलाल ब्राह्म्ण
       निवासी जाडाना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़
    2. मु0 सुहागी बेवा श्रीलाल ब्राह्म्ण–फौत
    3. मु0 कंकू पुत्री श्रीलाल ब्राह्म्ण
    4. मु0 मोहिनी पुत्री श्रीलाल ब्राह्म्ण
10. बंशीलाल पिता गेहरीलाल ब्राह्म्ण
    सभी निवासी जाडाना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़
11. रूकमणी पत्नि सुखलाल ब्राह्म्ण
    निवासी भोपलाई तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़
12. रामलाल पिता छोगालाल ब्राह्म्ण
13. श्यामलाल पिता छोगालाल ब्राह्म्ण
    दोनो निवासी जाडाना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़
14. राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार राशमी जिला चित्तौड़गढ़
15. राज्य जरिये उप–पंजीयक राशमी, जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी कपासन
दिनांक 05.04.2010 प्रकरण सं. 232/2005

उपस्थित –
1. श्री बालेन्द्र कोठारी – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्री छोगालाल जाट – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट–1, 2 11
3. श्री सुरेश बापना – 9 (1)

निर्णय दिनांक– 31.10.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्टस वादीगण ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया व मृतक हजारी की वारिस अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 मु0 कुसुमी तथा पुत्र मोहन थे मगरी हजारी की मृत्यु के बाद वादपत्र की कलम संख्या 2 मे वर्णित उनकी आराजीयात तन्हा मोहन के नाम पद दर्ज हो जाने से इन्द्राज दुरस्ती करा प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा दर्ज कराने व रहन विक्रय नही करने हेतु वाद पेश किया तथा वादपत्र मे मोहन मृतक की वारिस उसकी दो पत्नियां मु0 कंकु व मु0 दाखी के नाम पर जैर बहस आराजीयात दर्ज हुई और उनमे से मु0 दाखी प्रतिवादी नम्बर 2 की मृत्यु हो गई व मु0 कंकु प्रतिवादी नम्बर 1 है तथा मृतक मोहन ने व मु0 कंकु तथा मु0 दाखी ने जैर बहस आराजीयात मे से प्रतिवादी नम्बर 9 से 14 तक को विक्रय कर दी जो उनके 1/5 हिस्से से भी अधिक की है जो अवैध व शून्य है। अतः विक्रय को शून्य घोषित किया जावे तथा उक्त वादपत्र बाद सुनवाई अधीनस्थ अदालत ने दिनांक 05/04/2010 को निरस्त कर दिया। उसके विरूद्ध यह अपील पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि व साक्ष्य के नियमो के विपरीत है। अधीनस्थ अदालत ने वादपत्र व जवाबदावा के अनुरूप तनकीयात का निर्माण नही कर विधिक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी नम्बर 2 मु0 दाखी की मृत्यु हो जाने तथा उक्त तथ्य दिनांक 09/10/06 के फर्द अहकाम मे अंकित होने के बावजूद उसके विरूद्ध भी निर्णय व डिक्री पारित की है जो अवैध व शून्य है।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे दस्तावेजात तथा साक्षियो के कथन का सही पूर्ण उल्लेख किए बगैर निर्णय पारित किया है तथा अपीलान्टस द्वारा लिखित बहस पेश की है और उसमे दस्तावेजो तथा विधिक दृष्टान्तो का भी उल्लेख किया है, मगर अधीनस्थ न्यायालय ने उन पर गौर नही किया और निर्णय मे उल्लेख तक नही कर गंभीर विधिक त्रुटि की है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय डिक्री निरस्त की जाकर वादीगण का दावा डिक्री फरमाया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति है जो ईएक्स –11 तथा 12 से सिद्ध होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विस्तार से सुनवाई कर निर्णय पारित किया गया है। हजारी पिता गोविन्दराम के नाम विवादित सारी भूमि थी जिसमे उनकी 3 पुत्रियो के नाम दर्ज नही हुए। तथा 4 पुत्री रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 के रूप मे दर्ज

है कि मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार हजारी के 1 पुत्र श्री मोहन तथा 4 पुत्रियां है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 10 व 12, 13 क्रेतागण है। इस प्रकार कुल 5 वारिस होने के कारण 1/5 हिस्सा के प्रत्येक व्यक्ति हकदार है। मोहन की मृत्यु हो जाने के कारण उनकी पत्नि कंकू को रिकार्ड पर लिया गया है। मोहन के दो पत्नियां है एक का नाम दाखी तथा दुसरी पत्नि का नाम कंकू है। संवत् 2052–60 की जमाबन्दी का अवलोकन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुओमोटो रिलीजडीड मान ली गई है क्योकि जमाबन्दी मे हजारी की पुत्रियो के नाम नही है। धारा 88 के तहत कोई निर्णय पारित नही किया है मात्र धारा 188 मे ही निर्णय पारित किया गया है। तनकी संख्या 1 का पूर्ण विवेचन नही किया गया है। इसी प्रकार तनकी नम्बर 6 जो रिलीजडीड के बारे मे है, के सम्बन्ध मे निष्कर्ष विरोधाभासी है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 9(1) ने बयान किया कि मोहन पुत्र हजारी द्वारा श्रीलाल पुत्र श्री मुलाजी ब्राह्म्ण के नाम रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा का बेचान हो चुका है जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद हो चुका है। जमाबन्दी मे जब पुत्रियो का नाम ही नही है ऐसी सूरत मे इनको कोई हक नही होने के कारण अपील अपीलान्टस खारीज होने योग्य है।

5. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 11 ने बयान किया कि इएक्स–10 मे कुल भूमि 12 बीघा 11 बिस्वा है जिसमे हजारी पुत्र देवा अंकित है जबकि इएक्स 11 मे हजारी पुत्र गोविन्दराम है। ऐसी सूरत मे यह स्पष्ट नही है कि किस हजारी की बात की जा रही है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय मे अपील द्वारा पूर्ण पक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात् भी तनकीवार निर्णय करने के उपरान्त वाद खारीज किया गया है जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलान्टस खारीज की जावे।

6. बहस उभय पक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अपील अपीलार्थी, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया गया, जिसके आधार पर यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार निष्कर्ष देते हुए निर्णय पारित किया गया है जिसमे समस्त रिकार्ड को भी ध्यान मे रखा गया है, जिसका उल्लेख वकील अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस किया गया है। निर्णय के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है तथा निर्णय करने मे किसी प्रकार की विधिक भूल नही की गई है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलार्थी सारहीन होने के कारण खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मे किसी प्रकार का

हस्तक्षेप करना उचित नही पाया जाता है। फलतः उपखण्ड अधिकारी कपासन द्वारा प्रकरण संख्या 232/2005 मे पारित निर्णय दिनांक 05/04/2010 को यथावत रखते हुए अपील अपीलार्थी खारीज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़